ई. मेल द्वारा

## उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अम्बेडकर नगर (उ0प्र0)

संख्या : 200 /अधि0/स0सु0/2020 दिनांक : 15 जून, 2020

## अधिसूचना

केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों के उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है;

और जहाँ उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक–06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने अधिकार करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है;

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अम्बेडकर नगर जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

| क्र0सं0 | मार्ग का नाम एवं संख्या | स्थान (कहां से कहां तक ) जहां तक गति निबंधित रहेगी | यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | टू व्हीलर/थ्री व्हीलर | चालक सहित 07 सीटों तक वाले यात्रीयान | चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान | समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4, 5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | फैजाबाद–अकबरपुर–बसखारी (राजमार्ग सं0–BFA-30) | अकबरपुर, अन्नावां, कटेहरी, गोसाईगंज | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 2 | अकबरपुर–बसखारी–रामनगर–जहांगीगंज–राजेसुलतानपुर। (राजमार्ग सं0–BFA-30) | अकबरपुर, कुर्की बाजार, बसखारी, आलापुर रामनगर, जहांगीरगंज, राजेसुलतानपुर। | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |

15/6/2020

| क्र0सं0 | मार्ग का नाम एवं संख्या | स्थान (कहां से कहां तक ) जहां तक गति निबंधित रहेगी | यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर | चालक सहित 07 सीटों तक वाले यात्रीयान | चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान | समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4, 5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | अकबरपुर–महरूआ–सुलतानपुर। (राजमार्ग सं0–NH 232) | शहजादपुर, पहितीपुर, आनन्दनगर, महरूआ | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 4 | अकबरपुर–दोस्तुपुर–कादीपुर (राजमार्ग सं0–SH-128) | शहजादपुर, रामपुर सकरवारी, बेवाना, दोस्तपुर | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 5 | अकबरपुर–जलालपुर–नेवादा–जैतपुर–फुलवरिया–आजमगढ़। (राजमार्ग सं0–MDR–15 E) | पुलिस चौकी शहजादपुर–हजपुरा–जलालपुर–नेवादा–जैतपुर–फुल वरिया | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 6 | अकबरपुर–मालीपुर–सुरहुरपुर (राजमार्ग सं0–SH-5) | पुलिस चौकी शहजादपुर, मरैला जेल,जाफरगंज, खजुरी बाजार, मालीपुर चौराहा,सुरहुरपुर | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 7 | अकरपुर–टाण्डा (राजमार्ग सं0–NH-233) | कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन, अरिया, सूरापुर, मेडिकल कालेज सद्दरपुर, सकरावल टाण्डा | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 8 | अकबरपुर–इल्तिफातगंज (राजमार्ग सं0–ODR) | रेलवे क्रासिंग, जमुनीपुर थाना इब्राहिमपुर, इब्राहिमपुर | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 9 | एन0टी0पी0सी0–टाण्डा–हंसवर–रामनगर–न्योरी (राजमार्ग सं0–SH-30A) | एन.टी.पी.सी., मकदूमनगर, टाण्डा,हंसवर, आलापुर,रामनगर, न्योरी | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |
| 10 | टाण्डा–बसखारी–जलालपुर राजमार्ग संख्या–ODR) | टाण्डा, बसखारी, किछौछा, जलालपुर | 40 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 60 कि0मी0 प्रति घण्टा | 50 कि0मी0 प्रति घण्टा |

15/6/2020

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा –

(i) मोटरयान अधिनियम,1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालको को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रिट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

**(अ)** अग्नि शमन वाहन।

**(ब)** एम्बुलेंस।

**(स)** पुलिस वाहन।

**(द)** कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।

**(य)** प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06–04–2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

**सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी**
**अम्बेडकर नगर।**

पृ0संख्या : उपर्युक्तवत / समदिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
4. पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकर नगर।
5. सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / प्रवर्तन) अयोध्या सम्भाग, अयोध्या।
6. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अम्बेडकर नगर।
8. राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी / पश्चिमी), लखनऊ, उ0प्र0।

**सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी**
**अम्बेडकर नगर।**